मु.नं.—55 / 2020 GCMS ID-2020/00107 ता.रजु—21.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

संतोष कुमार पता रोडवेज डिपो के पीछे, अग्रसेन कॉलोनी, हिण्डौन सिटी जिला करौली — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक—02.11.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कानून व्यवस्था के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 05.10.2020, 12.10.2020, 19.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020 व 02.11.2020 को बार—बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर उनके द्वारा दिनांक 15.07.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक संख्या RR28469950IN द्वारा झारेडा रोड की नालियों के संबंध में प्रेषित किये गये पत्र पर हुई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक—सू.अ.अ. / 2020 / 541 दिनांक 28.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर उनके पत्रांक 361 दिनांक 30.07.2020 द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवाया गया था परंतु अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पता अपूर्ण होने के कारण डाक वापिस उनके कार्यालय में प्राप्त हो गई थी। पुनः पत्रांक 540 दिनांक 28.09.2020 द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
7. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार—बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली